निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःएफ.4(पॉलिसी)काशि/अनु./2010/ 451 दिनांकः 8/2/2013

परिपत्र

इस विभाग द्वारा वर्ष 2013–14 में नवीन महाविद्यालय खोलने अथवा अभिवृद्धि हेतु अस्थाई/स्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने बाबत् नीति जारी की जा चुकी है। उक्त नीति में नवीन परिस्थितियों के मद्देनजर आंशिक संशोधन इस प्रकार से किये जाते हैं।

निजी क्षेत्र में चलने वाले महाविद्यालयों में ऐसी संस्था जो सत्र 2013–14 में स्थाई मान्यता प्राप्त करने के लिये विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों को पूरा नहीं करती एवं सत्र 2013–14 में ऐसी संस्था की स्थापना का छठा अथवा सातवां वर्ष हो गया है तो वर्ष 2013–14 में अंतिम अस्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र देते हुये उन पर 50,000/– रुपये व ऐसी संस्थाएँ जिनकी स्थापना का 2013–14 में आठवां अथवा अधिक वर्ष है, उन पर 1.00 लाख रुपये की शास्ति लगाई जायेगी। 15 जून 2013 तक समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण नहीं करने पर ऐसी संस्थाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा व आगामी 2 वर्ष में उक्त संस्था का अनापत्ति प्रमाण–पत्र स्वमेव समाप्त हो जायेगा।

ऐसे निजी महाविद्यालय जो नियमित रुप से चलते पाये जाते हैं व अन्य समस्त शर्ते पूरी करते हैं लेकिन उनके द्वारा नियुक्त स्टाफ का अनुमोदन सम्बन्धित विश्वविद्यालय से नहीं हो पाया है तो वे इस आशय का प्रमाण प्रस्तुत कर स्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर सकेंगे कि उन्होंने स्टाफ के अनुमोदन हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय में आवेदन कर दिया है।

समस्त सम्बन्धित महाविद्यालय उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। उक्त संशोधन राज्य सरकार के स्तर से अनुमोदित है।

(नवीन जैन)
निदेशक

क्रमांकः दिनांकः

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः –

1. निजी सचिव, माननीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त, राजस्थान सरकार
4. श्री धीरेन्द्र देवर्षि, प्रभारी, वेबसाईट, निदेशालय कॉलेज शिक्षा
5. .....

(प्यारेलाल)
संयुक्त निदेशक (अनुदान)